उत्तर प्रदेश शासन

संस्कृति अनुभाग

संख्या- 107 / 2016 / 476 /चार-2016-90(वि0)/2015

लखनऊ: दिनांक: 05 मई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-97/3810/चार-2015-90(वि0)/2015, दिनांक 03 नवम्बर,2015 द्वारा यश भारती एवं पदम सम्मान से सम्मानित महानुभावों को मासिक पेंशन दिये जाने हेतु प्रभावी उ0प्र0 के यश भारती एवं पदम सम्मान से सम्मानित महानुभावों को मासिक पेंशन नियमावली, 2015 के नियम-9 में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त उक्त नियमावली के नियम-7 (2) में निम्नांनुसार संशोधन किया जाता है:-

वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम
नियम-7 (2) पेंशन का भुगतान छमाही आधार पर चयनित महानुभाव के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा।	**नियम-7 (2)** पेंशन का भुगतान चयनित महानुभाव के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रतिमाह किया जायेगा।

अनीता सी0 मेश्राम

सचिव।

संख्या- / 2016 / 476 /चार-2016 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, श्रीराज्यपाल , उ0प्र0 ।
2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संस्कृति विभाग,उ0प्र0 ।
4- महालेखाकार, उ0प्र0इलाहाबाद।
5- मुख्य स्टाफ आफीसर , मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक,संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
10- निदेशक, उ0प्र0 पुरातत्व विभाग, लखनऊ ।
11- निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
12- निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप/नियमावली को आगामी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
13- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
14- मुख्य कोषाधिकारी , जवाहर भवन, लखनऊ ।
15- वित्त (ई-7) अनुभाग ।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/